

न्यायालय संप्रबन्ध अधिकारी महोदय गिडवा जिला झालगाड राजग

चाद अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.एक्ट सहपठित धारा 136 एल.आर.एक्ट बाबत।

महोदय,

निवेदन है कि ग्राम वांसवेरी जमाबंदी सं. 2073-76 के खाता सं. 301 में दर्ज खातेदारान/चादीगण के पिता/पति/हिरसा/जाति/निवासी में गलत इन्द्राज/लिपीकीय त्रुटी को अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट में निम्नानुसार शुद्ध किया जाकर अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.एक्ट में खातेदार घोषित किया जावे।

भू प्रबंध खातीनी खाता सं.	भू प्रबंध खातीनी अनुसार प्रविष्टि	वर्तमान जमाबंदी खाता सं.	वर्तमान इन्द्राज / त्रुटी पूर्ण इन्द्राज	प्रस्तावित इन्द्राज (शुद्ध प्रविष्टि)
1	2	3	4	5
		301	कृष्णलाल पुत्र मांगीलाल जाति बलवाई दि- 1/7 सा- 68	कृष्णलाल पुत्र मांगीलाल जाति- मेहर दि- 1/7 सा- 38

वादी एवं गवाहान का नाम/पिता/जाति/निवासी का विवरण

1. अखारमिंद / श्रीकांमिंद श्रीकांमिंद
2. ....
3. ....
4. ....

हस्ताक्षर

हस्ताक्षर पटवारी

प०म० टा.ब.भा.भा.भा.

रिपोर्ट पटवारी

वादी/प्रार्थी के वाद पत्र के अनुसार ग्राम .....के राजस्व रिकार्ड की जांच की गई। मजमे आम में ली गई जानकारी /भू प्रबंध जमाबंदी एवं वर्तमान जमाबंदी में दर्ज त्रुटीपूर्ण इन्द्राज उक्त सारणी अनुसार शुद्ध किया जाकर तदानुसार वादी खातेदार घोषित होने योग्य है।

रिपोर्ट भूअभिलेख निरीक्षक

पटवारी रिपोर्ट की जांच की गई। राजस्व रिकार्ड में दर्ज त्रुटीपूर्ण इन्द्राज पटवारी रिपोर्ट अनुसार शुद्ध किये जाने योग्य है।

भूअभिलेख निरीक्षक



3

रिपोर्ट तहसीलदार/पेसेकार सारकार

क्रमांक: राजस्व/2025/

दिनांक :

महोदय , जांच रिपोर्ट पटवारी एवं भूअभिलेख निरीक्षक अनुसार ग्राम वांसयेडी के वादी/प्रार्थी के राजस्व रिकार्ड में दर्ज त्रुटीपूर्ण इन्द्राज को शुद्ध किया जाना उचित होगा। रिपोर्ट सादर प्रस्तुत है।

तहसीलदार/पेसेकार तहसीलदार पिडावा जि. झालावाड

आदेश

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिडावा जिला झालावाड राज0

क्रमांक: राजस्व न्यायालय/2025/ 191

दिनांक : 26/9/25

वादी/प्रार्थी के ग्राम वांसयेडी के राजस्व रिकार्ड में दर्ज त्रुटीपूर्ण इन्द्राज को तहसीलदार पिडावा की उक्त जांच रिपोर्ट/प्रस्ताव अनुसार प्रस्तावित सारणी के कॉलम 4 में अंकित त्रुटीपूर्ण इन्द्राज को कालम सं. 5 अनुसार दुरुस्त किया जाना स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार पिडावा को आदेशित किया जाता है कि वादी/प्रार्थी के राजस्व रिकार्ड में सारणी के कालम सं. 5 अनुसार इन्द्राज दुरुस्त कर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें।



उपखण्ड अधिकारी  
उपखण्ड अधिकारी पिडावा  
पिडावा जिला झालावाड (राज०)